प्रेषक,

महेंद्र कुमार-II,
विशेष न्यायाधीश,पोक्सो अधिनियम/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
फतेहपुर।

विषयः- **पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं० 9792/VIIb-104/Admin D Section Dated 19.07.2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत करना है की प्रार्थी न्यायिक सेवा में आने से पूर्व केंद्र सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया पोस्टल डिवीज़न चंडीगढ़ में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर दिनांक ०८/१०/१९९७ से दिनांक २१/१२/२००९ तक कार्यरत रहा। इस अवधि में प्रार्थी का सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या PKP-031501 में नियमित कटौती होती रही। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-752/दो-4-09-32(1)/200 दिनांक - २४/०३/२००९ के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या- 2091-AR(S)/2009 दिनांकित १७/१२/२००९ के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा जनपद न्यायालय उन्नाव में दिनांक २२/१२/२००९ को पूर्वाहन से सिविल जज जूनियर डिवीज़न का पदभार ग्रहण किया गया है तथा सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या LJU-26894 आवंटित किया गया है जिसमे नवम्बर २०१० से नियमित रूप से योगदान किया जा रहा है।

पूर्व में सेवाओ की अवधि का समायोजन करने हेतु एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को पत्र प्रेषित किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

श्रीमान्जी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनाक-01.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर
पत्रांक संख्या 1894/I दिनांक 01.08.2024
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर
01.08.2024

भवदीय
01.08.2024
(महेंद्र कुमार-II)
विशेष न्यायाधीश,पोक्सो अधिनियम/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर

संलग्नक-

१. शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस- 2024/301 (1) 2024 दिनांक- 28 जून, 2024 व शासनादेश स०-20/2024/सा-3-276 /दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

२.माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित पात्र दिनांकित १२/०५/२३।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम	**महेंद्र कुमार- II**
2. वर्तमान पदनाम	**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर ।**
3. वेतनमान	**144840-194660**
4. वर्तमान विभाग का नाम	**न्याय विभाग (उच्चतर न्यायिक सेवा)**
5. केंद्र सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	**DEPARTMENT OF POST, GOVT. OF INDIA .** Chief Postmaster General, Punjab Circle, Chandigrah. (Postal Division Chandigrah)
6. विज्ञप्ति की तिथि	**26.06.1997** (विज्ञापन स०.Rectt/3-5/94-II)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	**01.10.1997**
8. योगदान की तिथि	**08.10.1997**
9. जन्म तिथि	**01.01.1970**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	**31.12.2029**

मैं **महेंद्र कुमार- II** पुत्र/पुत्री/पत्नी **श्री श्रीराम** शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024 /301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

01.08.2024

(महेंद्र कुमार- II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर ।

घोषणा पत्र

मैं **महेंद्र कुमार- II** पदनाम **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर** यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

01.08.2024

(महेंद्र कुमार- II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर ।

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती **महेंद्र कुमार- II** पदनाम **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर** को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर

प्रेषकः–

महेन्द्र कुमार–II,
लघुवाद न्यायाधीश,
अलीगढ़।

सेवा में,

माननीय प्रमुख सचिव,
नियुक्ति अनुभाग–4,
एनेक्सी भवन, सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।

द्वारा,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

उचित माध्यम,
जनपद न्यायाधीश महोदय,
अलीगढ़।

विषयः– प्रार्थी की पूर्व में केन्द्र सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि को वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित किये जाने तथा प्रार्थी को पुरानी पेन्शन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के नियुक्ति अनुभाग–4, के पत्र सॅख्या–752/दो–4–09–32 (1)/2008, लखनऊ : दिनॉक 24–03–2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज(जूनियर डिवीजन) परीक्षा–2006 में चयनित होने के उपरान्त् माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना सॅख्या–2091–ए0आर0(एस0)/2009, दिनॉकित 17–12–2009 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा जनपद न्यायालय, उन्नाव में दिनॉक 22–12–2009 को पूर्वाह्न में अपर सिविल जज(जूनियर डिवीजन) का पदभार ग्रहण किया गया। इसके पूर्व प्रार्थी केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय ड़ाक विभाग में ड़ाक सहायक के पद पर दिनॉक 08–10–1997 से 21–12–2009 तक कार्य किया है।

माननीय महोदयजी विदित हों कि दिनॉक 01–04–2005 के उपरान्त् केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है, परन्तु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सेवा में दिनॉक 01–04–2005 से पूर्व जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत् रहे हैं और सेवाकाल के दौरान उत्तर प्रदेश, सरकार के अधीन अन्य विभाग में चयनित होकर नियुक्त हुएं हैं, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा अधिसूचना सॅख्या–सा–3–1118/दस–2011–301 (09)/2003 टी0सी0, दिनॉकितः16–09–2011 निर्गत किया गया है, जिसके पैरा सॅख्या–03(1) में यह निदेश हुआ है कि :–

केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश, सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोडे जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश, सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनॉक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह दिनॉक 01

अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रणाली पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग में दिनॉक 08–10–1997 से दिनॉक 21–12–2009 तक लगभग बारह वर्ष से अधिक (12 वर्ष 2 माह 13 दिन) डाक सहायक के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी की उपरोक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। माननीय उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सॅख्या–सा–3–1118/दस–2011–301(09)/2003 टी0सी0, दिनॉकित:16–09–2011 के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान न्यायिक सेवा में भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य है तथा केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग की सेवा अवधि उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की दोनों सेवाओं एवं सुसॅगत प्रपत्रों का विवरण (सॅलग्नक) निम्नवत् हैं :–

1– माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के नियुक्ति अनुभाग–4, के पत्र सॅख्या–752 /दो–4–09–32 (1)/2008, लखनऊ : दिनॉक 24–03–2009 के द्वारा प्रार्थी को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज(जूनियर डिवीजन) में नियुक्त किया गया। (अनैक्चर सॅख्या–1/1 ता–1/3)

2– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना सॅख्या–2091–ए0आर0(एस0) /2009, दिनॉकित 17–12–2009 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा जनपद न्यायालय, उन्नाव में दिनॉक 22–12–2009 को पूर्वाह्न में अपर सिविल जज(जूनियर डिवीजन) का पदभार ग्रहण किया गया। (अनैक्चर सॅख्या–2/1 ता–2/4)

3– माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना सॅख्या–2091–ए0आर0(एस0)/2009, दिनॉकित 17–12–2009 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनॉक 22–12–2009 को पूर्वाह्न में जनपद न्यायालय, उन्नाव में अपर सिविज जज(जूनियर डिवीजन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र सॅलग्न है।(अनैक्चर सॅख्या–3/1 ता–3/2)

4– प्रार्थी पूर्व में भारतीय डाक विभाग में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पंजाब सर्किल, चण्डीगढ़ के पत्र सॅख्या–आरईसीटीटी/3–5/94–II, दिनॉकित 25–06–97 के आदेशानुपालन में प्रवर अधीक्षक ड़ाकघर, चण्ड़ीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़ के मीमो सॅख्या–बी4/3/टीआरजी/(ए), दिनॉकित चण्डीगढ़ 04–07–1997 के अनुक्रम में चयनित होकर ड़ाक सहायक के पद पर नियुक्त हुआ। विभाग का आदेश सॅलग्न है। (अनैक्चर सॅख्या–4/1 ता–4/5)

5– प्रार्थी को प्रवर अधीक्षक ड़ाकघर चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़ के मीमो नं0:– बी–11/महेन्द्र कुमार, दिनॉकित चण्डीगढ़, 21–12–2009 के अनुक्रम में दिनॉक 21–12–2009 को अपराह्न में तकनीकी त्याग–पत्र को स्वीकार करते हुये कार्यमुक्त किया गया। कार्यमुक्त आदेश की प्रति सॅलग्न है। (अनैक्चर सॅख्या–5/1 ता–5/5)

6– प्रार्थी द्वारा पूर्व में केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय ड़ाक विभाग में दिनॉक 08–10–1997 से दिनॉक 21–12–2009 तक लगभग 12 वर्ष से अधिक समय तक ड़ाक सहायक के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति सॅलग्न है। (अनैक्चर सॅख्या–5/6 ता–5/50)

7– प्रवर अधीक्षक ड़ाक घर चण्ड़ीगढ़ मण्डल, चण्ड़ीगढ़ द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र। (अनैक्चर सॅख्या–6/1 ता–6/2)

8– प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना की सामान्य भविष्यनिधि खाते का लाभ मिल रहा है, जिसका खाता सॅख्या एल जे यू–26894 है, जिसका प्रमाण–पत्र सॅलग्न है। (अनैक्चर सॅख्या–7/1 ता–7/2)

9– माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के अधिसूचना सॅख्या–सा–3–1118/दस–2011–301(09)/2003 टी0सी0, दिनॉकित:16–09–2011 के अनुक्रम में प्रार्थी को केन्द्र सरकार के अधीन की गई सेवा वर्तमान सेवा में समायोजित होने योग्य है एवं प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य है।

उपरोक्त अधिसूचना सॅलग्न है। (अनैक्चर सॅख्या–8/1 ता–8/2)

अतः माननीय महोदयजी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के इस प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये प्रार्थी की केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा अवधि को प्रार्थी की वर्तमान उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित कर प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की महती कृपा करें।

माननीय महोदयजी की अति कृपा होगी।

"सादर"।

दिनॉकः–09–05–2023,

भवदीय

(महेन्द्र कुमार–II) 09.05.2023

लघुवाद न्यायाधीश,

अलीगढ़।

आई डी यूपी 01849

<u>सॅलग्नकः–</u>

यथोपरि।

Office of the District Judge, Aligarh

No. 1270 / XV / civil :Dated 12-05-23

FORWARDED

District Judge

Aligarh